<u>कार्यकारी परिषद की दिनांक 15नवम्बर 2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न कंचनजंघा प्रबंधन खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में आयोजित 21वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	**प्रो टी.बी.सुब्बा**	**-**	**अध्यक्ष**
2.	**श्री सोनाम बांगडी**	**-**	**सदस्य**
3.	**प्रो. अतुल शर्मा**	**-**	**सदस्य**
4.	**डा. (श्रीमती) किरण दत्तार**	**-**	**सदस्य**
5.	**डा. आर आर राव**	**-**	**सदस्य**
6.	**प्रो. जे पी तामांग**	**-**	**सदस्य**
7.	**प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान**	**-**	**सदस्य**
8.	**प्रो. समीरा मैती**	**-**	**सदस्य**
9.	**डा. धनीराज छेत्री**	**-**	**सदस्य**
10.	**डा. सुबीर मुखोपाध्याय**	**-**	**सदस्य**
11.	**प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद**	**-**	**सदस्य**
12.	**डा. नवल किशोर पासवान**	**-**	**सदस्य**
13.	**श्री डी कानुनज्ञ**	**-**	**विशेष आमंत्रित**
14.	**श्री टी.के कौल**	**-**	**सचिव**

सुश्री निम लाडेन इथेनपा, सचिव, एच आर डी डी का प्रतिनिधित्व श्री एम.पी. सुब्बा, निदेशक (भाषा / शैक्षणिक), सिक्किम सरकार ने किया

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा खेद-पत्र व्यक्त किया गया:

1. प्रो. ए.एन. राई
2. प्रो. एस.सी. सिंह
3. प्रो. वी .एस प्रसाद
4. प्रो. आशुम गुप्ता

अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने विशेषकर प्रो. समीरा मैती का स्वागत किया, जो कि पहली बार बैठक में सम्मिलित हो रही थी । तत्पश्चात कार्यसूची मद पर चर्चा आरंभ की गई ।

भाग - 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.सी. 21.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 जून 2014 को आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 जून 2014 को आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 15 जुलाई 2014 को सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था । परिषद के किसी भी सदस्य से कोई अभ्युक्ति प्राप्त नहीं हुई थी । अध्यक्ष ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव रखा ।

कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 जून 2014 को आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की दिनांक 15 जुलाई 2014 को सदस्यों के बीच यथा परिचालित, तत्पश्चात पुष्टि कर ली गई।

ई.सी. 21.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 जून 2014 को आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

रजिस्ट्रार ने परिषद की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत किया । परिषद ने की गई कार्रवाई को नोट किया ।

भाग -2

रिपोर्टिंग मदें

ई.सी. 21.2.1: नियुक्तियों का निरस्तीकरण

(क) श्री अरिंदम बर्मन को सहयक प्रोफेसर के पद हेतु नियुक्ति का प्रस्ताव का निरस्तीकरण

अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री अरिंदम बर्मन हार्टीकल्चर विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयनित किए किए थे । यद्यपि दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के अपने ईमेल के माध्यम से उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, जिसमें कार्यालयी वचनबद्धता को उद्धृत किया गया था । विश्वविद्यालय ने उनके निर्णय को स्वीकार किया तथा उन्हें दिए गए नियुक्ति हेतु प्रस्ताव को दिनांक 22 सितम्बर 2014 को निरस्त कर दिया । चूंकि पैनल में कोई प्रतीक्षा सूची में विद्यमान नहीं है, अत: इस पद को रिक्त के रूप में चिह्नित किया गया, तथा पुनर्विज्ञापित किया जाएगा ।

(ख) डा0 सत्य प्रकाश तिवारी को सहायक प्रोफेसर के पद हेतु नियुक्ति प्रस्ताव का निरस्तीकरण

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी को हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था । यद्यपि, दिनांक 18 जुलाई 2014 के अपने आवेदन के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख करते हुए कार्यभार ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी । विश्वविद्यालय ने उनके निर्णय को स्वीकार किया तथा उन्हे दिए गए नियुक्ति हेतु प्रस्ताव को दिनांक 5 अगस्त 2014 को निरस्त कर दिया ।

परिषद ने आगे हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु पैनल का प्रचालन करने का अनुमोदन किया तथा सामान्य श्रेणी हेतु पैनल में अगला व्यक्ति सुश्री चुले भुटिया को प्रस्ताव दिए जाने का भी अनुमोदन किया ।

ई.सी. 21.2.2: डा0 बिनु सुनदास की विश्वविद्यालय की सेवा से निकासी

डा0 बिनु सुनदास ने विश्वविद्यालय मेंदिनांक27 फरवरी 2012 को कार्यभार ग्रहण किया था तथा15 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत कारणों से अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया था । उनका त्याग पत्र स्वीकार किया गया, तथा दिनांक 15 जुलार्ठ 2014 को कार्यभार मुक्त कर दिया गया । उनके द्वारा धारित पद रिक्त के रूप में चिह्नित किया गया एवं इसे विज्ञापित किया जाएगा ।

भाग -3

संपुष्टि हेतु मामले

ई.सी. 21.3.1: प्रोफेसरों की संवीदा पर नियुक्ति

परिषद ने कुलपति द्वारा निम्नलिखित प्रोफेसरों को संवीदा आधार पर उनके विरूद्ध दर्शाए गए विभागों में रू0 60,000/- के मासिक पारिश्रमिक पर एक सेमेस्टर की अवधि (1 अगस्त 2014 से 16 दिसम्बर 2014) हेतु की गई नियुक्ति की कार्रवाई की संपुष्टि किया।

i. डा0 मंडप प्रसाद थापा, प्राणीशास्त्र विभाग
ii. प्रो0 विश्वनाथ प्रसाद, हिंदी विभाग
iii. प्रो0 अभिजीत राय, रसायन शास्त्र विभाग

भाग -4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ई.सी. 21.4.1: भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण कर्मचारी) , 2014

परिषद की 20वीं बैठक में ड्राफ्ट भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2014 का अनुमोदन , किसी एच आर विशेषज्ञ द्वारा इसकी वैटिंग के शर्त पर किया गया था । तत्पश्चात, यह नियमावली श्री अरूण बालाकृष्णन, सी एम डी, एच पी सी एल को वैटिंग एवं अभ्युक्ति हेतु प्रेषित की गई थी । अपनी टिप्पणियों में श्री अरूण बालाकृष्णन ने कहा है कि भर्ति नियमावली पारदर्शिता एवं समान अवसर की आवश्यकता को पूरा करती है, जो कि सरकारी/लोक क्षेत्र सत्यनिष्ठा के दो प्रमुख आमुख हैं । यद्यपि उन्होंने कुछ प्रेक्षण भी किए हैं, जिनपर विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही कार्रवाई की गई है ।

परिषद ने श्री अरूण बालाकृष्णन, सी एम डी, एच पी सी एल कथित नियमावली सद्भावना प्रदर्शन की तथा बिना किसी पारिश्रमिक के मूल्यवान अभ्युक्तियां देने की प्रशंसा की । विस्तृत विमर्श के बाद परिषद ने भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण कर्मचारी) 2014 का अनुमोदन इस निर्देशन के साथ किया कि तीन वर्ष पश्चात इस नियमावली की समीक्षा की जाए ।

ई.सी. 21.4.2: विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सांविधिक अधिकारियों एवं प्रोफेसरों हेतु समरूप पारिश्रमिक

परिषद को सूचित किया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संवीदा आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त सांविधिक अधिकारियों को रू0 90,000/- प्रति माह के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, जब कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रोफेसरों को संवीदा आधार पर रू0 60,000/- प्रति माह के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । अध्यक्ष ने इन सभी, अर्थात सेवानिवृत्त सांविधिक अधिकारीगण एवं सेवा निवृत्त प्रोफेसर जिन्हें, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, के पारिश्रमिक में रू0 1 लाख प्रतिमाह की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया ।

परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया

ई.सी. 21.4.3: निश्चित चिकित्सा भत्ता के स्थान पर बाह्य रोगी के रूप में उपचार की प्रतिपूर्ती पर विचार करना ।

परिषद को सूचित किया गया कि इनकी दिनांक 8 अगस्त 2008 की पहली बैठक में रू0 5000 प्रति माह का निश्चित चिकित्सा भत्ता का भुगतान दिनांक 1 सितम्बर 2008 से शुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर बाह्य रोगी के रूप में स्वयं के उपचार हेतु प्रतिपूर्ती के स्थान पर करने का निर्णय लिया गया था । ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय में कुछ ही गैर शिक्षण कर्मचारीगण बिलों पर कार्रवाई हेतु थे । अब

स्थिति में सुधार आया है, साथ ही कई बीमारियां, यथा अल्सर, डाइबिटिज, ट्यूबर्यूबरकुलोसिस, कैंसर एवं हृदय रोग आदि में काफी खर्चीले ओ पी डी उपयार की आवश्यकता होती है । यह भी, कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, यथा, नेहु, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि से पूछताछ पर यह पाया गया था कि इन विश्वविद्यालयों में अपने कर्मचारियों के ओ पी डी व्यय का मेडिकल अटेडेंस नियमावली के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है । परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव पर आगे परीक्षण करने तथा कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के लिए समूह चिकित्सा बीमा की संभावना ढूंढने का सुझाव दिया । ऐसा किए जाने तक चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति की वर्तमान प्रणाली चलती रहेगी ।

ई.सी. 21.4.4: सांविधिक अधिकारियों के संबंध में सेवा की शर्तें

परिषद को सूचित किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2007) की संख्या 10) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को परिभाषित करता है । इनमें से कुलपति को छोड़कर बाकी सभी पूर्णकालिक एवं विश्वविद्यालय के वेतनभोगी कर्मचारी है । कुलपति, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक जैसे अधिकारीगण कार्यकाल आधारित नियुक्तियों पर होते हैं । कार्यकाल की समाप्ति के बाद, उन्हें अपने संबंधित संगठन में पुनर्वापसी करना पड़ता है । ऐसे में इन कार्यकाल आधारित पदों की नियुक्ति को विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर माना जाएतथा इन्हें प्रतिनियुक्ति पद देय लाभ, यथा स्थानांतरण टी ए, छुट्टी वेतन एवं पेंशन अवदान, छुट्टी यात्रा रियायत, आवास का प्रतिधिारण एवं अन्य अवशिष्ट मामले, जो कि केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर देय है, की अनुमति दी जाए ।

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

ई.सी. 21.4.5: डा0 संगीता राय (मैत्रा) का विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद से पदत्याग ।

परिषद को सूचित किया गया कि डा0 संगीता राय (मैत्रा) ने विश्वविद्यालय में दिनांक 2 मई 2014 को विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था । उन्होंने इस आधार पर त्याग पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें पश्चिम बंगाल शिक्षा सेवा में विधि में सहायक प्रोफेसर के रूप में चयन किया गया है, तथा उन्होंने दिनांक 17.10.2014 से कार्यभार मूक्त किए जाने का अनुरोध किया है । प्रभारी, विधि विभाग ने रिपोर्ट किया है कि डा0 संगीता राय (मैत्रा) बिना सूचना के 20.10.2014 से अनुपस्थित हैं ।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद उनके त्याग पत्र को दिनांक 17.10.2014 से इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह सूचना अवधि में एक महीने की कमी के स्थान पर वेतन वापस जमा करेगी ।

ई.सी. 21.4.6: गैर शिक्षण कर्मचारियों द्वारा परीविक्षा अवधि का समापन

विश्वविद्यालय को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने उनके विरूद्ध दर्शाई गई तारीख से परीविक्षा अवधि पूरी कर ली है ।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण की	परीविक्षा

			तारीख	समाप्ति की तारीख
1.	श्री शैलेष शुक्ला	अनुभाग अधिकारी	13.04.2012	12.04.2014
2.	डा0 मंजुश्री थापा मंगर	चिकित्सा अधिकारी	04.05.2012	03.05.2014
3.	सुश्री कल्पना दहाल छेत्री	अनुभाग अधिकारी	28.02.2012	27.02.2014
4.	सुश्री कल्पना राणा	अनुभाग अधिकारी	12.03.2012	11.03.2014
5.	सुश्री रोशनी लामा तामांग	निजी सचिव	05.03.2012	04.03.2014
6.	श्रीमती केसांग डामा भुटिया	निजी सचिव	07.03.2012	06.03.2014
7.	श्री प्रदीप कुमार तामांग	निजी सचिव	12.03.2012	11.03.2014
8.	श्री निषाद सुब्बा	सहायक	03.05.2012	02.05.2014
9.	श्री लाक्पा छिरिंग शेर्पा	वैयक्तिक सहायक	04.04.2012	03.04.2014
10.	सुश्री जुतिका गोस्वामी	हिंदी अनुवादक	12.04.2012	11.04.2014
11.	सुश्री चुंग चुंग भुटिया	नर्स	07.05.2012	06.05.2014
12.	श्रीमती राधा कुमारी बस्नेत	तकनीकी सहायक	07.05.2012	06.05.2014
13.	श्री दीपक छेत्री	तकनीकी सहायक	17.06.2012	16.06.2014
14.	श्री दोर्जी शेर्पा	तकनीकी सहायक	15.06.2012	14.06.2014
15.	श्री पवन लामा	पुस्तकालय परिचारक	29.03.2012	28.03.2014
16.	सुश्री रिंकु तामांग	पुस्तकालय परिचारक	29.03.2012	28.03.2014
17.	श्री विक्रम थापा	प्रयोगशाला परिचारक	03.05.2012	02.05.2014
18.	श्री तुलसी शर्मा	प्रयोगशाला परिचारक	03.05.2012	02.05.2014
19.	श्री दिनेश राई	प्रयोगशाला परिचारक	11.05.2012	10.05.2014
20.	श्रीमती रेगिना राई	प्रयोगशाला परिचारक	11.05.2012	10.05.2014

21.	**श्री भानु मंगर**	**प्रयोगशाला परिचारक**	**11.05.2012**	**10.05.2014**
22.	**श्री नर बहादुर सुब्बा**	**प्रयोगशाला परिचारक**	**10.05.2012**	**09.05.2014**
23.	**श्री केसव कुमार बिसुके**	**प्रयोगशाला परिचारक**	**15.06.2012**	**14.06.2014**
24.	**श्री विनोद छेत्री**	**प्रयोगशाला परिचारक**	**15.05.2012**	**14.05.2014**
25.	**श्रीमती क्रिस्टिना राई**	**यू डी सी**	**01.04.2013**	**31.03.2014**
26.	**श्रीमती दक्षता लावर**	**यू डी सी**	**01.04.2013**	**31.03.2014**
27.	**सुश्री डोमा तामांग**	**एल डी सी**	**01.04.2013**	**31.03.2014**
28.	**श्री सुदीप गुरूंग**	**एल डी सी**	**01.04.2013**	**31.03.2014**
29.	**श्री वसंत बरैली**	**एल डी सी**	**15.04.2013**	**14.04.2014**
30.	**श्री नवराज प्रधान**	**ड्राइवर**	**07.05.2013**	**06.05.2014**
31.	**श्री टेक बहादुर प्रधान**	**ड्राइवर**	**07.05.2013**	**06.05.2014**

परीविक्षा के दौरान उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा रिपोर्टिंग एवं रिव्यूईंग अधिकारियों द्वारा की गई है एवं उपरोक्त में से किसी के भी मामले में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं की गई है ।

परिषद ने ऊपर वर्णित गैर शिक्षण कर्मचारियों से परीविक्षा उठाए जाने तथा विश्वविद्यालय में उनकी सेवा सारणी में उल्लेखित उनकी परीविक्षा की समाप्ति की अगली तारीख से पुष्टि किए जाने का निर्णय लिया ।

ई.सी. 21.4.7: विश्वविद्यालय में गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति

परिषद ने निम्निलिखत गैर शिक्षण पदों की चयन समितियों की अनुशंसाओं की प्रत्येक पद के विरूद्ध दर्शाए गए व्यक्ति को प्रस्ताव का अनुमोदन किया:

i.	परीक्षा नियंत्रक	डा0 देवाशिष चौधुरी (21.12.1958) प्रतीक्षा सूची - 1
ii.	सहायक रजिस्ट्रार	श्री सोनाम वांगचुक (14.11.1981) प्रतीक्षा सूची - 2
iii.	सहायक ईंजीनियर	श्री हेमंत शर्मा(17.04.1986) प्रतीक्षा सूची - 1
iv.	कनिष्ठ ईंजीनियर (सिविल)	श्री मंजिल दर्नाल (20.04.1980) प्रतीक्षा सूची - 1

v.	कनिष्ठ ईंजीनियर (विद्युत)	श्री कर्मा ग्याछो भुटिया (15.10.1990) प्रतीक्षा सूची - 1
vi.	सुरक्षा अधिकारी	कैप्टन पी डब्ल्यू डूक्पा (17.07.1956) प्रतीक्षा सूची - 1

ई.सी. 21.4.8: डा0 रफिउल अहमद का एक वर्ष की अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन पत्र

डा0 रफिउल अहमद, सहायक प्रोफेसर, भुगोल विभाग ने प्रिंसटन युनिवर्सिटी, एन जे, यू एस ए में फंग ग्लोबल फलोशीप प्रोग्राम के प्रति 2015-16 की अवधि हेतु आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) जारी करने का अनुरोध किया है । उन्होंने विश्वविद्यालय में दिनांक 26.06.2010 को संवीदा आधार पर कार्यभार ग्रहण किया है, तथा दिनांक 27.02.2012 से नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत है । अत: उन्होंने दिनांक 26.02.2015 को स्थायी पद पर तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की है ।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद डा0 रफिउल अहमद के प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी में फंग ग्लोबल फेलोशीप प्रोग्राम हेतु आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया, तथा नियमित आधार पर तीन वर्षों की सेवा समाप्त करने पर उन्हें छुट्टी स्वीकृत की जाए ।

ई.सी. 21.4.9: डा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर को भुगोल विभाग के प्रमुख पद से हटाया जाना ।

रजिस्ट्रार ने इस मद को प्रस्तुत किया तथा श्रीमती नूर बानो, डा0 सोहेल फिरदौस की पत्नि द्वारा किए गए शिकायत, साथ ही श्रीमती नूर बानो द्वारा अपने शिकायत पत्र में दी गई विशिष्ट सूचनाओं के संबंध में साक्ष्य संग्रहण में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए जांच पड़ताल का पूर्ण विवरण दिया । यह भी, कि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त साक्ष्य का डा0 सोहेल फिरदौस द्वारा अपनी पत्नि की शिकायत के प्रति उत्तर में दिए गए स्पष्टीकण के आलोक में विश्लेषण किया गया । संग्रहित साक्ष्य एवं विवरणों के विश्लेषणसे डा0 सोहेल फिरदौस का विभाग में अपने ही छात्र के साथ संबंध सर्वथा स्थापित होता है ।

परिषद विचार-विमर्श के बाद सहमत हुआ कि भुगोल विभाग के छात्रों के लिए यह उचित नहीं होगा कि उन्हें एक ऐसा एच ओ डी मिले, जिनका विभाग के ही एक छात्र के साथ संबंध है, तथा वे उसके प्रति पक्षपाति हो सकते हैं । अपने ही प्रत्यक्ष छात्र के साथ एच ओ डी की संलग्नता अत्यधिक अनैतिक कार्य है, एवं विभाग के सुचारू संचालन में गंभीर कठिनाई पैदा कर सकता है । एच ओ डी के रूप में उन्हें परीक्षा एवं अन्य विभागों से सभी गोपनयी पत्राचारों में पहूंच प्राप्त होगी ।

परिषद ने कुलपति द्वारा डा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर को भुगोल विभाग के विभागाध्यक्ष पद से हटाए जाने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 21.4.10: डा0 सोहेल फिरदौस, को भुगोल विभाग के प्रमुख पद से उन्हें हटाए जाने के संबंध में **कार्यालय आदेश 287/2014 दिनांक 28 अगस्त 2014 के विरूद्ध अपील ।**

डा0 सोहेल फिरदौस, को भुगोल विभाग के प्रमुख पद से उन्हें हटाए जाने के विरूद्ध अपील एवं डा0 सोहेल अहमद द्वारा अपने अपील में उठाई गई बिंदुओं को परिषद में

प्रस्तुत किया गया । डा0 सोहेल फिरदौस द्वारा अपने अपील में उठाई गई बिंदुओं पर विश्वविद्यालय का पक्ष भी परिषद के ध्यान में लाया गया । अध्यक्ष ने परिषद के संज्ञान में डा0 फिरदौस द्वारा छात्रों का फील्ड भ्रमण में ले जाने के संबंध में आहरित अग्रिम के बारे में बतलाया, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया, साथ ही उनके द्वारा तत्कालिन एस यू टी ए के अध्यक्ष के रूप में प्राधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न अभियोग लगाते हुए जारी किए गए व्हाइट पेपर के संबंध में बतलाया, जिसमें उन्होंने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

परिषद ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद डा0 सोहेल फिरदौस के भुगोल विभाग की प्रमुखता से उन्हें हटाए जाने के संबंध में कार्यालय आदेश 287/2014 दिनांक 28 अगस्त के विरूद्ध अपील को अस्वीकृत किया । परिषद ने आगे विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि डा0 सोहेल फिरदौस के विरूद्ध निम्नलिखित के ऊपर भारत सरकार के सी सी एस (आचरण) नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई की जाए:

1. शिक्षक के रूप में अपने प्रत्यक्ष छात्र के साथ संबंध स्थापित करने में नैतिक/चारित्रिक कदाचार
2. विभाग के छात्रों को फील्ड भ्रमण के लिए नहीं ले जाने में कर्तव्य की अवहेलना, जिसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय से अग्रिम का आहरण किया तथा विश्वविद्यालय से सिकी विधिक अनुमति के बिना स्टेशन से अनुपस्थित रहे ।
3. एस यू टी ए (सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ) के अध्यक्ष के रूप में श्वेत पत्र जारी करने में कदाचार, जहां विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विरूद्ध, विश्वविद्यालय द्वारा उनके द्वारा लगाए गए विशिष्ट अभियोग के बार में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना अभियोग लगाया गया, उनके एवं महासचिव द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए अभियोगों को संकाय सदस्य एवं कुलपति को बिना अनुमति एवं एस यू टी ए के संविधान के उल्लंघन में परिचालित किया गया ।
4. कोई अन्य सहयोजित मामला

परिषद ने कुलपति को उपरोक्त पर डा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर के विरूद्ध आरोप बनाने तथा जांच पड़ताल संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया । यदि आवश्यक हो, सी सी एस (सी सी ए) नियमावली के अंतर्गत विश्वविद्यालय से बाहर से, वरीयता देकर किसी को इंक्वायरी अधिकारी नियुक्त की जाए । परिषद ने आगे कुलपति को डा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर को निलंबित करने के लिए प्राधिकृत किया, यदि उनकी राय में ऐसा करने की आवश्यकता हो । जांच पड़ताल तीन महीने के अंतर्गत पूरी की जाए तथा रिपोर्ट कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए ।

टेबल मदें

ई.सी. 21.4.11: डा0 जयदीप विश्वास का वाणिज्य विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद से पदत्याग

परिषद को सूचित किया गय कि डा0 जयदीप विश्वास ने विश्वविद्यालय में दिनांक 23 जुलाई 2014 को वाणिज्य विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था

। उन्होंने अपने दिनांक 3 नवम्बर 2014 के पत्र के माध्यम से वैयक्तिक कारणों से त्याग पत्र प्रस्तुत किया है तथा नवंबर के चौथे सप्ताह से कार्यभार मुक्त होने का अनुरोध किया है, ताकि वे उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में सहायक परीक्षा नियंत्रक के अपने पूर्ववर्ती पद पर कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम हो सके ।

परिष ने विचार विमर्श के बाद डा0 जयदीप विश्वास का त्याग पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया कि उन्हें 28 नवंबर 2014 (अप0) को कार्यभार मुक्त किया जाए । परिषद ने आगे वाणिज्य विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु पैनल का परिचालन करने तथा श्री रवि शेखर, पैनल में अगले व्यक्ति को प्रस्ताव देने का अनुमोदन किया ।

ई.सी. 21.4.12: डा0 बिनु मैथ्यु का बागवानी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से पदत्याग

परिषद को सूचित किया गया कि डा0 बिनु मैथ्यु ने विश्वविद्यालय में बागवानी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में दिनांक 19 मई 2014 को कार्यभार ग्रहण किया था । उन्होंने वैयक्तिक कारण से अपना त्याग पत्र दिनांक 7 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कया है, तथा अनुरोध किया है कि उन्हें दिनांक 8 दिसम्बर 2014 को कार्यभार मुक्त किया जाए, ताकि वे नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के अपने पूर्ववर्ती पद पर कार्यभार ग्रहण कर सके ।

परिषद ने उनके त्याग पत्र को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया कि उन्हें दिनांक 8 दिसम्बर 2014 (अप0) को कार्यभार मुक्त किए जाए । परिषद ने नोट किया कि चूंकि पैनल में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है, अत: पद को रिक्त के रूप में चिह्नित एवं पुनर्विज्ञापित किया जाए ।

ई.सी. 21.4.13: विश्वविद्यालय फ्लैग एवं मोटो

परिषद को सूचित किया गया कि अध्ययन स्कूलों के डीन एवं प्रशासनिक प्रमुखों की एक समिति की दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को एक बैठक विश्वविद्यालय फ्लैग एवं मोटो निर्णित करने के लिए हुई । समिति ने दिनांक 25 अगस्त 2011, 27 दिसंबर 2011 को प्रकाशित विश्वविद्यालय विज्ञापन एवं बाद में 17 फरवरी 2012 को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड, जिनमें फ्लैग एवं मोटो हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी, के विरूद्ध में 49 प्रविष्टियां प्राप्त की । समिति ने यह भी पाया कि विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त की गई कोई भी प्रविष्टियां समुचित नहीं थी । अत: समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

1. विश्वविद्यालय फ्लैग: समिति ने विश्वविद्यालय फ्लैग को सुनहले रंग की अनुशंसा की , क्योंकि यह सफलता, उपलब्धी एवं विजय का प्रतीक है, तथ यह प्रचुरता एवं समृद्धि सुख साधन एवं गुणता, ईज्जत एवं दुनियादारी मूल्य एवं ऐश्वर्य से सहयोजित है । समिति यह भी अनुशंसा की कि फ्लैग की लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में हो इसके मध्य में विश्वविद्यालय का लोगो हो ।

2. विश्वविद्यालय मोटो : समिति ने "ज्ञान बुद्धि सफलता" को मोटो के रूप में अनुशंसा की तथा इसे विश्वविद्यालय लोगो के अंतर्गत कोरे पुस्तक में रखने की सलाह दी ।

पिरषद ने विचार विमर्श के पश्चात विश्वविद्यालय के फ्लैग हेतु समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया । यद्यपि विश्वविद्यालय मोटो के लिए परिषद ने "खोज ज्ञान बुद्धि" को विश्वविद्यालय लोगों के अंतर्गत कोरे पुस्तक में रखने के लिए उचित शब्द के रूप में अनुमोदन किया ।

ई.सी. 21.4.14: सातवीं वार्षिक रिपोर्ट, 2013-14

परिषद ने विचार विमर्श के बाद विश्वविद्यालय की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट, 2013-14 का अनुमोदन किया, जो कि कार्यसूची मद के साथ अनुलग्नक 4 के रूप में इस सुझाव के साथ संलग्न किया गया है कि कार्यकारी परिषद भी शिक्षकों एवं छात्रों की उपलब्धियों को उल्लेखित करें ।

भाग - 5

प्राधिकारियों/समितियों के कार्यवृत्त

ई.सी. 21.5.1: भवन निर्माण समिति की दिनांक 1 नवंबर 2014 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने भवन निर्माण समिति कि दिनांक 1 नवंबर 2014 को आयोजित 5 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया तथा 0.79% के उद्धृत दर पर कैंपस विकास हेतु आर्किटेक्ट के रूप में मेसर्स मुकेश एंड एसोसिएट्स के चयन में उपसमिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया ।

ई.सी. 21.5.2: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 5 नवंबर, 2014 को आयोजित 16 वीं बैठक के कार्यवृत्त

शैक्षणिक परिषद की 16 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिषद द्वारा विचार एवं नोट किया गया । परिषद ने निम्नलिखित पर विशेष अनुमोदन प्रदान किया:

1. निम्नलिखित विभागों के 2015-16 सत्र से नए शैक्षणिक कार्यक्रम एन्थ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर अनुप्रयोग, शिक्षा, हिंदी, प्रबंधन, गणित पर्यटन एवं प्राणीशास्त्र
2. शैक्षणिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित शैक्षणिक सत्र 2015-16 से शैक्षणिक कैलेण्डर का पुनरीक्षण
3. बी.ए. एल एल बी (आनर्स) पाठ्यक्रम हेतु विनियमावली
4. मास्टर्स डिग्री अवार्ड हेतु एक महीने की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा
5. एम.फिल/पी एच डी कार्यक्रमों पर मार्गदर्शन
6. इन्टर्नशीप पर नियमावली
7. सेमिनार, सम्मेलनों आदि में संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की भागीदारी हेतु मार्गदर्शन
8. निम्नलिखित केंद्रीय सरकार नियमावलियों का विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों (शिक्षण एवं गैर शिक्षण) के लिए अंगीकरण

i. सामान्य वित्तीय नियमावली
ii. मौलिक नियमावली
iii. अनुपूरक नियमावली
iv. केंद्रीय सिवल सेवाएं (आचरण) नियमावली
v. केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली

9. महाविद्यालय विकास परिषद हेतु ड्राफ्ट सांविधि को 14-ए के रूप में संख्या अंकित किया जाना एवं सांविधि 14 एवं 15 की बीच रखा जाना

ई.सी. 21.5.3: वित्त समिति की दिनांक 8 नवंबर 2014 को आयोजित 12 वीं बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 8 नवंबर 2014 को आयोजित 12 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया । परिषद ने निम्नलिखित पर विशेष अनुमोदन दिया:

i. वार्षिक लेखा 2013-14, इसे निर्देशन के साथ कि सांविधिक लेखा परीक्षकों से अंतिम एस ए आर प्राप्त होने पर, सदस्यों के बीच अनुमोदन हेतु परिचालित किया जाए । परिषद ने आगे सलाह दिया कि भविष्य में वार्षिक लेखा को सी एवं ए जी कार्यालय से एस ए आर के साथ ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए ।
ii. वर्ष 2014-15 हेतु परिशोधित प्राक्कलन एवं 2015-16 हेत बजट प्राक्कलन
iii. वित्त समिति की बैठकों के लिए विनियमावली

अंतत: परिषद ने बाह्य सदस्यों द्वारा विशेषकर परिषद के निर्णयों को मार्गदर्शन देने एवं सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में किए गए मूल्यांकन अवदानों के लिए अपनी प्रशंसा अभिलेखित करने का निर्णय लिया । परिषद ने डा0 (श्रीमती) किरण दत्तार, प्रो0 अतुल शर्मा, डा0 आर.आर.राव, डा. वी एस प्रसाद, प्रो0 एस.सी. सिंह , प्रो0 अशुम गुप्ता एवं श्री सोनाम वांगडी का परिषद की अधिकांश बैठकों में उपस्थिति के लिए विशेष कृतज्ञता व्यक्त की ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई ।

ह0/-
(टी.के.कॉल)
रजिस्ट्रार
सचिव

ह0/-
(प्रो.टी.बी. सुब्बा)
कुलपति
अध्यक्ष